

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 2145 तारिखित के प्रश्नांश 'घ' की जानकारी

परिशिष्ट 'अ'

क्र०	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विषय	जांचकर्ता अधिकारी का नाम	प्रकरण की अद्यतन कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	श्री बालेन्द्र शुक्ला, मंडी जबलपुर का पत्र ई.ओ.उल्हसू के माध्यम से	शिकायत आर कमांक 445/15 विरुद्ध उपसंचालक एवं समस्त कृषि उपज मण्डी संभाग।	सुश्री संगीता दोर्के, सयुक्त संचालक मुख्यालय को पत्र क. /सर्त/224-19/जबलपुर सं./4092 दिनांक 8.7.2015 से सौंपी गई।	जांच प्रतिवेदन दिनांक 19.10.2013 से प्राप्त। परीक्षण उपरांत शिकायत फर्जी नाम से होने से संबंधित के कथन के आधार पर प्रमाणित नहीं होना प्रतिवेदित किये जाने पर स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन पत्र दिनांक 12.1.2016 से चाहा गया। जिस पर उनके द्वारा पत्र दिनांक 20.06.2016 से विशेष दल गठित करने का लेख किया गया, जिसे अमान्य कर स्मरण कराते हुए पत्र दिनांक 04.07.2016, 10.08.2016, 16.11.2016 09.01.2017 एवं 01.01.2018से स्मरण कराये गये। प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	
2	श्री अनिल जैन, शरिष्ठ समाज सेवक जबलपुर शासन के माध्यम से पीजीआर नं. 10012080/20.10.15	श्री पकज जैन सहायक लेखाधिकारी मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर द्वारा जा रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच कर दखिल करने	उप आंचलिक कार्यालय जबलपुर को पत्र क./सर्त/224-21/जबलपुर सं./913 दिनांक 29.4.2016 से सौंपी गई।	जांच प्रतिवेदन पत्र क. 9395 दिनांक 21.3.2017 से प्राप्त। परीक्षण उपरांत जांच शिकायतकर्ता की उपस्थिति संबंधी कोई उल्लेख नहीं होने से उन्हें सुनने संबंधी पत्र कथन/साक्ष्य पत्र दिनांक 2.6.2017 से चाहे जो उनके पत्र दिनांक 27.07.2017 से प्रस्तुत किये गये। जिस पर पत्र दिनांक 6.09.2017 से प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिकायतकर्ता को पत्र जारी करना, व प्राप्त होना दर्शाया किन्तु	

विधान सभा प्रश्नोत्तर से संबंधित प्रश्न क्रमांक 2145 का परिशिष्ट - "अ" पृष्ठ सं. 01, 02, 03 (नव पत्र)

		बावत।		<p>कथन की स्थिति का उल्लेख नहीं किया। मात्र आरोपी एवं संभाग अन्तर्गत मण्डी समितियों के सचिवों के कथन प्राप्त कर शिकायत प्रमाणित नहीं होने का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है जो विरोधाभासी होने से स्पष्ट जानकारी चाही गई। रमरण पत्र दिनांक 1.1.2018 से कराया गया। जानकारी प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।</p>
3	<p>श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री, कटनी का पत्र 30.6.16 शासन के माध्यम से पीजी नं. 10063140/13.7.16</p>	<p>श्री पंकज जैन सहायक लेखाधिकारी आंचलिक कार्यालय मण्डी बोर्ड जबलपुर द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच कर दण्डित करने बावत।</p>	<p>उप आंचलिक कार्यालय जबलपुर को पत्र क. /सर्त /224-21 /जबलपुर सं. /2214 दिनांक 20.9.2016 से सौंपी गई।</p>	<p>जाँच प्रतिवेदन पत्र क. 9396 दिनांक 21.3.2017 से प्राप्त। परीक्षण उपरान्त जाँच शिकायतकर्ता की उपस्थिति संबंधी कोई उल्लेख नहीं होने से उन्हें सुनने संबंधी पत्र कथन/साक्ष्य पत्र दिनांक 2.6.2017 से चाहे जो उनके पत्र दिनांक 27.07.2017 से प्रस्तुत किये गये। जिस पर पत्र दिनांक 6.09.2017 से प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिकायतकर्ता को पत्र जारी करना, व प्राप्त होना दर्शाया किन्तु कथन की स्थिति का उल्लेख नहीं किया। मात्र आरोपी एवं संभाग अन्तर्गत मण्डी समितियों के सचिवों के कथन प्राप्त कर शिकायत प्रमाणित नहीं होने का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है जो विरोधाभासी होने से स्पष्ट जानकारी चाही गई। रमरण पत्र दिनांक 1.1.2018 से कराया गया। जानकारी प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।</p>

(विभाग अथवा न्यायाधीन पत्र का संख्या 21145 का उत्तर - "3" हाथ क. 01 से 02 तक पर)

4	समरत सेकेटरी संभाग। मण्डी जबलपुर	श्री पंकज कुमार जैन सहायक लेखाधिकारी मण्डी बोर्ड जबलपुर संभाग के भ्रष्टाचार की जांच बावत।	उप आंचालिक कार्यालय जबलपुर को पत्र क./सर्त/224-21 /जबलपुर सं. /201 दिनांक 24.01.2018 से सौंपी गई।	जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	
5	श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री का पत्र 9.8.2017	श्री पंकज जैन सहायक लेखाधिकारी आंचालिक कार्यालय उप संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जबलपुर के विरुद्ध कार्यवाही बावत।	श्री सुबोध श्रीवास्तव, उप संचालक, मुख्यालय को पत्र क./सर्त/224-21 /जबलपुर सं. पार्ट-1/2381 दिनांक 4.09.2017 से सौंपी गई।	जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। स्मरण दिनांक 08.09.2017 एवं 1.1.2018 से कराया गया।	

अनुभाषा
मण्डल
सं. १

अधिकारी
तल, जमशेदपुर,
जमशेदपुर,
मण्डल

सहायक संचालक (सतकर्ता)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल।